Chemicals and Fertilizers, to consider the recommendations contained in the Report of the Study Group on Wages, Incomes and Prices. This Report contains recommendation on extension of bonus to new areas vide paras 8.15 and 8;16 of the Report, which are reproduced below:—

"8.15 Logically, bonus related to profit, of the kind which has prevailed in India for a long time now, is suitable only in industries producing for the market in reasonably competitive conditions. It is not suitable in the case of organised activities, industrial or other, where the profit motive does not operate at all or where the profits are induced; influenced or otherwise affected by public policy and largely used for the community welfare. Thus it is unsuitable in government services and similar activities, including the Railways, Posts and Telegraphs, and public utilities, financial and other institutions.

8.16 On this reasoning, there can be no question of extending the system of bonus related to profit to new areas. Further, where the bonus system prevails in unsuitable areas, it should be phased out, if necessary, by replacing it with other payments related to more suitable measures of performance."

2. The above recommendations of Bhoothalingam Study Group are still under the consideration of the Group of Ministers and no decision has yet been taken. The Report has raised certain basic issues of policy and it is difficult tosay at this tage when it would be possible for the Group of Ministers to finalise their recommendations.

Cyclone Warning Radar in Masulipatnam

8830 SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether a cyclone warning radar was set up at Masulipatnam in Andhra Pradesh; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Not yet Sir. There has been some delay in the acquisition of the land required for setting up the Cyclone Warning Radar at Masulipatnam. The land has since been taken over. Plans and estimates for the buildings have been prepared and are under examination.

सामान्य अधिमान पद्धति (जी० एस० पी०) लागू किया जाना

8831. श्री रामानन्द तिवारी: क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य अधिमान पद्धति (जी० एम०पी०) लागू करते समय सभी विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा यह विश्वास किया गया था कि भारत इस पद्धति का सबसे अधिक लाभ उठा सकेगा परन्तु इस सम्बन्ध में इसका पांचवां स्थान रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में यह पाया गया है कि हालांकि भारत से किन्हीं वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु बाजार में इसका अंश कम हुआ है जब कि अन्य विकासशील देशों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य विकासशील देशों से प्रतियोगिता का सामना करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यह सच है कि 1971 में जब विकसित देशों ने अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जी०एस०पी०) के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ किया था, उस समय यह विश्वास किया गया था कि भारत टैरिफ रियायतों का लाभ उठा सकेगा और विकसित देशों को अपने निर्यातों में वृद्धि कर सकेगा। जी एस पी लाभों का उपयोग करने के सम्बन्ध में लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों की सूची मे भारत की स्थिति विभिन्न वर्षों व विभिन्न बाजारों में भिन्न रही है। जिन नवीनतम वर्षों के लिये अंकटाड के सचिवालय को मार्फत दाता देशों से आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार जी एस पी का उपयोग करने

में भारत की स्थिति निम्नलिखित विवरण में दिखाई गई है :—

क्रमांक	देश	वर्ष	भारत का स्थान
1.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	1975	तीसरा
2.	हंगरी	1975	दूसरा
3.	सोवियत संघ	1975	पहला
4.	सं० रा० अमरीका	1976	ग्यारहवां
5.	नार्वे	1976	पांचवां
6.	स्वीडन	1976	छठा
7.	फिनलैंड	1976	ग्यारहवां
8.	स्विटजरलैंड	1976	पांचवां
9.	आस्ट्रिया	1976	आठवां

(ख) जिन मुख्य कारणों से भारतीय निर्यातक अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली का अधिक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाये हैं, वे इस प्रकार है :

(1) अधिमानों की सामान्यीकत प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध जैसे कोटे, अधिकतम सीमाएं, अलग अलग देशों की राशियां, अपर्याप्त टैरिफ कटौती और उत्पादों को शामिल न किया जाना ।

(2) विकासशील देशों के बीच कड़ी प्रतियोगिता, जो सभी अधिमानों की सामान्यीकृत योजनाओं का लाभ उठाते हैं ।

(ग) हाल के वर्षों में विश्व निर्यातों में भारत का भाग सामान्य रूप में एक जैसा रहा है, किसी वर्ष कुछ उतार-चढ़ाव हुए हैं, जब कि मुख्यत: विकासशील देशों के बीच तेल उत्पादक देशों के भाग में वृद्धि होने के कारण वर्ष 1972 से लेकर 1977 के दौरान उनके भाग में वृद्धि हुई है, जैसा कि सं० रा० संघ के बुलैटिन पर आधारित निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है ।

वर्ष	विकासशील बाजार अर्थ व्यवस्थाओं का भाग (प्रतिशत)	भारत का भाग (प्रतिशत)	ओपेक देशों का भाग (प्रतिशत)
1972	19.86	0.64	7.30
1973	21.32	0.56	8.09
1974	29.35	0.51	16.25
1975	26.55	0.56	14.33
1976	28.34	0.62	15.28
1977	27.94	0.61	उपलब्ध नहीं

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार जो प्रयास करती है उनमें अन्य विकासशील देशों से प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास भी शामिल हैं । सरकार की निर्यात संवर्धन नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व हैं, एस० टी० सी०, एम० एम० टी० सी०, एच० एच० ई० सी०, ई० सी० की० सी० टी० डी० ए०, तथा टी० एफ० ए० आई०, निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के जरिए संस्थागत प्रयास करना, उचित कीमतों पर आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्ध करके निर्यात उत्पादन आधार मजबूत बनाना, आयात नीति को उदार बनान, मुआवजा सहायता, निर्यात शुल्क की समाप्ति, प्रभावी क्वालिटी नियन्त्रण की व्यवस्था करना, परिवहन अवस्थापना मजबूत बनाना आदि । निर्यात संवर्धन उपायों के बारे में एक विस्तृत विवरण लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में 23-2-79 को सभा पटल पर रखा गया था ।

Growth of foreign companies and Multinationals

8832. SHRI C. R. MAHATA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that Government are not exercising their powers to prevent the growth of foreign companies and multinationals in the country; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) ad (b). Government's policy with regard to participation of foreign investment and foreign companies in the country's industrial development is set cut in paras 23 to 26 of the Statement on industrial Policy presented to Parliament on 23rd December, 1977. So far as existing foreign companies are concerned, the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act are being strictly enforced. So far as new foreign investment is concerned, it is permitted only in sophisticated technology or export-oriented areas on such terms as are determined by the Government to be in national interest.